

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व इटीमव्या

भू अभिलेख निरीक्षक खैमासी

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार करेड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रेह पटवार हल्का उटीमव्या तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 457, 458 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>रेह</u>	<u>457</u> <u>458</u>	<u>सरीराम पिता</u> <u>गंगाराम</u>	<u>इटीराम पिता गंगाराम</u>

प्रमारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 21/10/2021

क्रमांक/न्यायालय /2021/05

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री इटीराम पिता गंगाराम नि.रेह

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा